

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, बुधवार, जून १, 2010/ज्येष्ठ 19, 1932

No. 324}

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2010/JYAISTHA 19, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2010

सा.का.नि. 489(अ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियमावली, 2004 के नियम 4 के साथ पठित सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 646(अ) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व उन बातों के संबंध के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोग किया गया है, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत उल्लंघनों के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई का संज्ञान लेने या जांच करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों सिहत एक संचालन सिमित गठित करती है, अर्थात् :—

- सिचव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, —अध्यक्ष भारत सरकार, नई दिल्ली
- संसद सदस्य (केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार —सदस्य कल्याण मंत्री द्वारा नामित)
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक सदस्य
- संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य
- संयक्त सचिव विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य
- संयुक्त सामव,)वाय जार न्याय नेतालन (स्वरंद)
 भारतीय विज्ञापन मानक परिषद्, नई दिल्ली —सदस्य के प्रतिनिधि

- भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली को प्रतिनिधि —सदस्य
- डॉ. पी. सी. गुप्ता, हीलिस शेखसिंग उच्चेट्यूट —सदस्य आफ पब्लिक हैल्थ, नवी मुम्बई
- 9. डॉ के. श्रीनाथ रेड्डी, अध्यक्ष, पीएचएफआई, —सदस्य नई दिल्ली
- सुश्री पद्मिनी सोमानी, निदेशक, सलाम बाम्बे —सदस्य फाउंडेशन, मुम्बई
- डॉ सुरेन्द्र शास्त्री, प्रमुख, निवारक अर्बुद विज्ञान, --सदस्य टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुम्बई
- श्री बेजॉन मिश्रा, प्रबंध निदेशक, कंज्यूमर —सदस्य ऑनलाइन फाउंडेशन, नई दिल्ली
- संयुक्त सचिव (तम्बाकू नियंत्रण प्रभारी), —सदस्य-सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[फा. सं. पी. 16015/4/2005-पीएच.1] क्रेशव देशीराजु, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2010

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 read with rule 4 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004 and in supersession of the notification number G.S.R. 646(E) dated 17th October, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes a Steering Committee, with the following Members, to take cognizance or look into specific action regarding violations under Section 5 of the said Act, namely:—

- Secretary, Ministry of Health and Family Chairman Welfare, Government of India, New Delhi
- Member of Parliament (Nominated by Union Minister of Health and Family Welfare)
- 3. Director General of Health Services —Member
- Joint Secretary, Ministry of Information Member and Broadcasting
- 5. Joint Secretary, Ministry of Law and —Member Justice
- Representative of Advertising Standards—Member Council of India, New Delhi

- 7. Representative of Press Council of India, —Member New Delhi
- 8. Dr P. C. Gupta, Healis-Sekhsaria —Member Institute of Public Health, Navi Mumbai
- Dr K. Srinath Reddy, President, PHFI, —Member New Delhi
- Ms. Padmini Somani, Director, Salam Member Bombay Foundation, Mumbai
- Dr Surendra Shastri, Chief of Preventive Member Oncology, Tata Memorial Hospital Mumbai
- Sh. Bejon Mishra Managing Director,
 Consumer Online Foundation,
 New Delhi
- 13. Joint Secretary (In-charge of Tobacco ——Member-Control), Ministry of Health and Family Welfare

[F. No. P. 16015/4/2005-PH. I] KESHAV DESIRAJU, Addl. Secy.